

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

23-9-25

04/10/2025/446

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का मउ

किस्म मुकदमा-प्रा0पत्र प्रचलित रास्ता अधा 131, 132 एल आर एक्ट

मुकदमा नम्बर-124/2025

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर

नम्बर 0 जारी  
प्रमाणित की  
इस हुकम की  
तारीख में जारी  
हुकम

23.09.2025

राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अतिम व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में दिनांक 24 जून 2025 से 09 जुलाई 2025 तक "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा" का आयोजन किया गया था। जिसके अन्तर्गत राजस्व विभाग से संबंधित संपादित किये जाने वाले कुल 10 गतिविधियों/कार्यों में से क्रमांक 6 पर "रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण" का कार्य श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, राजस्व (ग्रुप-5) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र पत्रांक प0 04(3) राज-5/सम/2024 जयपुर दिनांक 18.06.2025 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में विभिन्न ग्राम पंचायतों में खातेदारी कृषि भूमियों में कर्दाभी रूप से चले आ रहे प्रचलित रास्ते (जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रहे हैं) को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0-रास्ता के रूप में दर्ज कराने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव लिये जाकर शिविर के दौरान मौके पर प्रचलित रास्तों के प्रस्ताव तैयार करवाये गये थे। जिनको तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 2267/भू.अ./2025 दिनांक 18.08.2025 एवं पुनः पत्रांक 2593/भू.अ./2025 दिनांक 16.09.2025 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ के कृषि भूमि खसरा नम्बर 886, 887, 889 में से जा रहे प्रचलित रास्ता डेरावाली ग्रामीण सड़क से जीबुर्जीया वाली ढाणी से लगता हुआ प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू है। उक्त प्रचलित रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, फर्द मौका रिपोर्ट जिस पर कुछ खातेदारान् के सहमति बतौर हस्ताक्षरित संबंधित खातेदारान् में से, फर्द मौका रिपोर्ट पटवार मउ संलग्न है। जिसे तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी अभिशंषा साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया हैं। विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से प्रकरण को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बत्ताम परिवार

तारीख हुजम	हुकम या कार्यवाही मय तधु हरताक्षर जज प्रतिपत्र 30/08/2025
	<p>इसी परिपेक्ष्य में पूर्व में श्रीमान संयुक्त शारान सचिव, राजस्व (गुप-6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प 3 (2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के द्वारा भी गावों में कदीमी रूप से चालू होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चले आ रहे प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गैर मु0 सरता दर्ज किये जाने तथा रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में सम्बन्धित खातेदारान् के ही नाम जमाबन्दी में रखे जाने बाबत राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी किया गया है। उक्त जारी परिपत्र की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रचलित रास्ते के प्रस्ताव व प्रस्ताव के संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मगन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रस्तावित प्रचलित रास्ते के मौके पर कदीमी रूप से चालू होकर सार्वजनिक रूप से काम में आने, प्रस्तावित प्रचलित रास्ता डेरावाली ग्रामीण सड़क से जीबुजीया वाली ढाणी से लगता हुआ प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू होकर रास्ते के सार्वजनिक आवागमन के उपयोग में आने से एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अनुशंषा के मध्यनजर प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।</p> <p>अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के तहत भिजवाये गये प्रस्ताव को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निम्नानुसार दिये जाते है :-</p> <p>राजस्व ग्राम डेरावाली पटवार मण्डल मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खसरा नम्बर 886 रकबा 0.15 हैक्टर मे से 0.0160 हैक्टर, 887 रकबा 0.6600 हैक्टर में से 0.0360 हैक्टर व 889 रकबा 0.68 हैक्टर में से 0.0210 हैक्टर भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी कृषि भूमि में से तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते को गैर मुगकीन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रतिलि एवं संलग्न नक्शा ट्रेस की</p>

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर खसरा परिवारी इलाका मंडू

प्राप्त पत्र

क्र. नं. - 124/2025

नम्बर व तारीख  
अप्रकाम जो इस  
हुकम की लक्षण  
में जारी हुई

सारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघु हरताक्षर जज

प्रमाणित प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते हैं कि उक्त खसरा नम्बरान् की कृषि भूमिगों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज की जावे एंव नक्शों में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खातें ही खातें में ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रहेगें। उक्त प्रचलित रास्ता में अंकित खसरा नम्बरान् पर यदि किसी अपीलीय/अपर/सिविल/राजस्व मण्डल इत्यादि किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो राजस्व रिकार्ड में पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



( अनिल कुमार )

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( अनिल कुमार )

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

3476/रीड  
25-9-25